राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–297 / 2024

सूरजभान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कार्यालय विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य परियोजना समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, नागौर, बीकानेर, नागौर, राज.।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 14.02.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अपीलार्थी को पुनः अपने पैतृक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिये गए। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति व साक्षात्कार के आधार पर की गई। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिए आदेश दिनांक 24.08.2023 के द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा की गई, जिस पर पैतृक विभाग ने आदेश दिनांक 06.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा। अपीलार्थी ने दिनांक 08.09.2023 को प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यग्रहण किया। वर्तमान आलोच्य आदेश प्रतिनियुक्ति की अवधि एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का चयन होने के पश्चात अपीलार्थी की नियुक्ति Appointment on Deputation की श्रेणी में आता है। ऐसे में अपीलार्थी के साथ

मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति बिना किसी कारण से समाप्त किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3299/2002 श्रीमती शशि सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी का कथन है कि Appointment on Deputation non-suitability or unsatisfactory work के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है।

2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के संबंध में पारित प्रतिनियुक्ति आदेश दिनांक 14.08.2023 (अनुलग्नक–3) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम–144(क) के तहत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया था। नियम–144(क) का प्रावधान निम्न प्रकार से हैः–

> '' [1]**(नियम 144क. वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तेः** एक राज्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर विदेश सेवा, जो केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त–संस्थायें (पंजीकृत है अथवा नहीं) एवं अन्य संस्थायें जो पूर्णतः अथवा सारभूत रूप से राज्य सरकार के नियन्त्रण में हैं, में स्थानान्तरण करने की शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियमित होंगी।)
>
> (राज्य सरकार के विभागों में केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाती हैं, किन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश नहीं हैं।
>
> अतः लोकहित के दृष्टिगत राजकीय विभागों में केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना आवश्यक हो तो निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :
>
> 1. राजकीय विभाग में पद रिक्त होने पर उपरोक्त सरकारों/उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु भिजवाये जायेंगे तथा बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जावेगा।
>
> 2. प्रथमतः प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष के लिए होगी, किन्तु प्रशासनिक विभाग के द्वारा लोकहित में प्रतिनियुक्ति अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
>
> 3. अपवाद स्वरूप परिस्थिति में तीन वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति अवधि कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से बढ़ाई जा सकेगी जिसके

लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति अवधि समाप्ति के कम से कम दो माह पूर्व पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भिजवाया जावेगा।

4. प्रतिनियुक्ति अवधि किसी भी परिस्थिति में पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

5. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों का प्रतिनियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग से अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली अनिवार्य कटौतियों को संबंधित सरकार/उपक्रम को समय–समय पर भिजवाये जाने का उत्तरदायित्व सेवा उधार लेने वाले राजकीय विभाग के संबंधित अधिकारी का होगा।

समस्त प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई जावे ।)''

3. यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने नियम–144(क) के तहत दी गई प्रतिनियुक्ति के संबंध में आदेश क्रमांक वि.वि. के आदेश संख्या एफ.1 (47)/विवि(ग्रुप–2)/82, दिनांक 22.02.1986 द्वारा निम्न आदेश पारित किया हैः–

''[3](1. राज्यपाल राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144क में राज्यकर्मियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी विद्यमान शर्तों में संशोधन करने के आदेश देते हैं। केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य प्रादेशिक सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, या सरकारी कम्पनियाँ या निगम या स्वशासी निकाय (निगमित अथवा नहीं) तथा अन्य निकाय इत्यादि जो पूर्णतः अथवा मौलिक रूप से राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित हों, राज्य सरकार के कर्मचारियों को इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर अथवा वैदेशिक सेवा में भेजने पर अब निम्नांकित प्रावधान लागू होंगेः–

2. अभिव्यक्ति 'प्रतिनियुक्ति' में अस्थायी आधार पर स्थानान्तरण द्वारा की गई नियुक्तियाँ ही आएँगी । इसके अन्तर्गत स्थानान्तरण द्वारा या अन्तिम विलीनीकरण (एब्जार्शन) द्वारा या खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा उक्त संस्थाओं में सीधी भर्ती से की गई स्थायी नियुक्ति सम्मिलित नहीं है।

3. .....

4. .....''

4. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट होता है कि नियम–144(क) के तहत प्रतिनियुक्ति अस्थाई आधार पर स्थानांतरित द्वारा दी गई प्रतिनियुक्ति के समान माना गया है। अतः अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि अपीलार्थी की नियुक्ति Appointment on Deputation की श्रेणी में आता हो, बल्कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति 'स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति' की श्रेणी में आती है। उपरोक्त न्यायिक निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पर स्थानांतरण पर

प्रतिनियुक्ति दी गई हो, उस पर प्रतिनियुक्ति प्राप्त करने वाले कार्मिक का पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी के पैतृक विभाग ने प्रशासनिक आदेश पारित कर अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त की है, जिसका अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने में कोई दुर्भावना होना हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है।

5. अतः अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)